(अमोल रतन सिंह, जे.)

अमोल रतन सिंह से पहले **,** जे**.**

प्रेम वती -याचिकाकर्ता

बनाम

2018 का जूले खान और अन्य प्रतिवादीगण सीआर No.1686

04 अप्रैल, 2019

न्यायालय शुल्क अधिनियम**-1870-**धारा **7 (iv) (**ग**)-**निष्पादक द्वारा विलेख की बिक्री को चुनौती**,** न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के कारण वाद खारिज कर दी गई है

निष्पादक मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

हालाँकि, इस न्यायालय की राय में, वादी के वकील के स्थान पर खड़े होने के कारण, उस आधार पर उसे बिक्री-विलेख का निष्पादक माना जाना चाहिए, और धोखाधड़ी के आरोप के संबंध में, प्रत्येक वादी के लिए धोखाधड़ी का अनुरोध करना बहुत आसान होगा, धोखाधड़ी को चुनौती देना या रद्द करने की मांग करना और इस तरह अदालत शुल्क और मूल्य के भुगतान से बचना बहुत आसान होगा।

(पैरा 9)

ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यही कारण प्रतीत होता है कि सुरहीद के मामले मे सरदूल सिंह के मामले में भी उनके अधिपतियों ने किसी विलेख के निष्पादक के मामले में ऐसा अपवाद नहीं बनाया, जिसमें उसे रद्द करने की मांग की गई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल रद्द करने की किसी भी राहत के लिए, एक निष्पादक द्वारा अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान किया जाना है, जबकि एक गैर-निष्पादक के मामले में, उसे अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान केवल तभी करना है जब वह अपने पक्ष में घोषणा के अलावा कब्जे की परिणामी राहत चाहता है।

(पैरा 13)

आशीष गुप्ता, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

जुनैद सिंह, अधिवक्ता

आदित्य जैन, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी नं.1.प्रतिवादी नं. के लिए मुनफैद खान, अधिवक्ता प्रत्यकशी नं 2

अमोल रतन सिंह**,** जे ओरल

(1) इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) हथिन द्वारा पारित दिनांक 21.02.2018 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश को चुनौती देता है।), जिसके द्वारा सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत उसका आवेदन खारिज कर दिया गया है।

758

(2) उक्त आवेदन के माध्यम से, याचिकाकर्ता (मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1) ने इस आधार पर शिकायत को अस्वीकार करने की मांग की थी कि दिनांक 09.11.2015 बिक्री विलेख को चुनौती दिए जाने के बावजूद (इसे अमान्य घोषित करने और प्रतिवादी-वादी पर बाध्यकारी नहीं होने की मांग की गई थी), उक्त बिक्री-विलेख में दिखाए गए बिक्री विचार पर अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान नहीं किया गया था।

(3) विद्वत सिविल न्यायाधीश ने मामले पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि चूंकि वादी द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, इस प्रभाव के लिए कि सामान्य शक्ति का साधन जिसके आधार पर वकील द्वारा बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, वादी पर की गई धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

(4) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील एक निर्णय पर निर्भर करता है

सुहरीद सिंह उर्फ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह में

और अन्य के फैसले पर भरोसा करते है जिनसे वह इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इसमें यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी बिक्री-विलेख का निष्पादक उसे रद्द करने की मांग करता है, ऐसे निष्पादक को वास्तव में बिक्री-विलेख को रद्द करने की मांग करनी होगी, और ऐसी स्थिति में बिक्री विलेख में भुगतान की गई बिक्री प्रतिफल की राशि पर गणना करते हुए अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।दूसरी ओर, यदि किसी विक्रय-विलेख का गैर-निष्पादक उसे रद्द करने की मांग करता है, तो उसे केवल उस आशय की घोषणा की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर करने की आवश्यकता होती है, जिस पर न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की दूसरी अनुसूची व अनुच्छेद 17 (iii) के संदर्भ में एक निश्चित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, यानी

रु। 19.50 p.

(5) इसलिए तर्क यह है कि बिक्री विलेख को वादी के वकील द्वारा निष्पादित किया गया दिखाया गया है, वादी को इसका निष्पादक माना जाना चाहिए, इस आरोप के बावजूद कि पावर ऑफ अटॉर्नी स्वयं एक उपकरण था जो उस पर खेले गए धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था।

(6) दूसरी ओर प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील तेजा सिंह बनाम श्रीमती में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर निर्भर करते हैं।

। अमर कौर और अन्य 2 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

चूँकि उस मामले में वादी ने मुकदमे में परिणामी या ठोस राहत के रूप में कब्जे का दावा नहीं किया था, इसलिए अदालत शुल्क का भुगतान मूल्य के साथ नहीं किया जाना था।इसके बाद वह मुकदमे में की गई प्रार्थना की ओर ध्यान आकर्षित करता है, शिकायत की एक प्रति अनुलग्नक पी-1 है), जिसमें प्रार्थना का प्रभाव हैः-

1 आकाशवाणी 2010 एससी 2807

2 2007 (57) आर. सी. आर. (सिविल) 193 पी. आर. ई. एम.

वेटी बनाम जूले खान और अन्य

759

(अमोल रतन सिंह, जे.)

“13. इसलिए , वादी, इसलिए, प्रार्थना करता है कि इस आशय की घोषणा की डिक्री कि जाए, वादी पैरा संख्या में विस्तृत विवाद में संपत्ति के कब्जे का मालिक है।1 वादी और प्रतिवादियों को पैरा सं. में विस्तृत वाद संपत्ति में कोई अधिकार, अधिकार या हित नहीं मिला है।1 अभियोग और दिनांक 9.11.2015 आक्षेपित बिक्री विलेख जिसका वासिका/दस्तावेज़ सं.2868 प्रतिवादी के पक्ष में सं।1 पैरा नं. में विस्तृत वाद संपत्ति।1 शिकायत और उसके बाद के उत्परिवर्तन सं।872 दिनांक 04.12.2015 और आक्षेपित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 29.10.2015 जिसमें वासिका/दस्तावेज़ संख्या है।31 प्रतिवादी के पक्ष में नं।3/वादी की ओर से जाकिर हुसैन नकली, फर्जी, अवैध, अमान्य और अमान्य दस्तावेज हैं, जो अप्रभावी हैं और वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि पैरा नं.1 वाद की और खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और प्रतिवादी को रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री नं।1 पैरा नं. में विस्तृत वाद संपत्ति को अलग करने से।1 किसी अजनबी को शिकायत करने और कथित संपत्ति पर अवैध रूप से और गैरकानूनी रूप से कोई आरोप लगाने और प्रतिवादियों को वादी को और बल का प्रदर्शन करके मुकदमे की संपत्ति से अवैध

रूप से बेदखल करने से रोकने , कृपया वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमे की लागत के साथ पारित किया जा सकता है।और/या कोई अन्य राहत जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझता है और संपत्ति भी प्रदान की जा सकती है।"

(7) तर्क यह है कि चूंकि घोषणा की मांग करने के बाद परिणामी प्रार्थना केवल स्थायी निषेधाज्ञा में से एक है जो वाद में प्रतिवादियों को वाद संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोकती है, वादी-(इसमें प्रतिवादी) के कब्जे में होने के साथ, अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है नया मूल्य भुगतान किया गया।

(8) मामले पर विचार करने के बाद, हालांकि यदि प्रतिवादी-वादी को इस आधार पर बिक्री-विलेख का निष्पादक नहीं माना जाता है कि इसे वास्तव में एक वकील द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसने (वादी के अनुसार) धोखाधड़ी के माध्यम से पावर ऑफ अटॉर्नी का साधन प्राप्त किया था, तो विद्वान वकील का तर्क स्वीकार्य होगा।

(9) हालाँकि, इस न्यायालय की राय में, वादी के वकील के स्थान पर खड़े होने के कारण, उस आधार पर उसे बिक्री-विलेख का निष्पादक माना जाना चाहिए, और धोखाधड़ी के आरोप के संबंध में, के लिए यह बहुत आसान होगा।

प्रत्येक वादी, धोखाधड़ी का अनुरोध करने के लिए एक बिक्री-विलेख को चुनौती देता है, या रद्द करने की मांग करता है और इस तरह अदालत शुल्क और मूल्य के भुगतान से बचता है।

(10) बेशक, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कुछ मामलों में (बड़ी संख्या में मामलों में भी हो सकता है), आरोप वास्तव में अंततः परीक्षण अदालत के समक्ष उस प्रभाव के लिए साक्ष्य पर सही पाया जा सकता है; और ऐसे मामले में, स्वाभाविक रूप से, वादी संबंधित प्रतिवादी से अपनी लागत वसूल करने का हकदार होगा; हालाँकि, एक ऐसे स्तर पर जब विवाद केवल एक आरोप है जिसे अभी भी साबित किया जाना है, यह नहीं माना जा सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री-विलेख को रद्द करने के लिए की गई प्रार्थना पर जिसे निष्पादक दिखाया गया है, व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से, उसे अदालत शुल्क और मूल्य निर्धारण लगाने से छूट दी जाएगी, भले ही उसके अनुपात के अनुसार

सुहरीद सिंह के मामले में निर्णय (ऊपर)।

(11) यह आगे कहा जाना आवश्यक है कि हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-वादी ने वाद संपत्ति के कब्जे की राहत की मांग नहीं की है, जैसा कि याचिका के साथ संलग्न वाद की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, फिर भी, न्यायालय शुल्क

अधिनियम, 1870 की धारा 7 के खंड (iv) के उपखंड (सी) में कहा गया है कि उन मुकदमों के संबंध में जिनमें परिणामी राहत के साथ एक घोषणात्मक राहत मांगी गई है, वादी बताएगा कि मांगी गई राहत का मूल्य उस राशि का मूल्यांकन किया जाता है।

(12) इस प्रकार, वादी द्वारा अपने वाद में मांगी गई घोषणा यह है कि वह विवादग्रस्त संपत्ति की मालिक है, लेकिन परिणामी राहत की मांग की गई है कि दिनांक 09.11.2015 (आई. डी. 1) के विवादित बिक्री विलेख को एक ऐसा दस्तावेज घोषित किया जाए जो अवैध, शून्य और शून्य है, प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील द्वारा इस संबंध में उठाया गया तर्क मेरी राय में स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि परिणामी राहत का मतलब यह नहीं है कि यह केवल एक राहत है जो एक वाद संपत्ति के कब्जे की मांग कर रही है।

(13) यही कारण प्रतीत होता है कि सुहरिद सिंह @सरदूल सिंह के मामले में भी, उनके अधिपतियों ने किसी विलेख के निष्पादक के मामले में ऐसा अपवाद नहीं बनाया, जिसमें उसे रद्द करने की मांग की गई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल रद्द करने की किसी भी राहत के लिए, अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान एक निष्पादक द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि एक गैर-निष्पादक के मामले में, उसे अदालत शुल्क और मूल्य का भुगतान केवल तभी करना है जब वह अपने पक्ष में घोषणा के अलावा कब्जे की परिणामी राहत चाहता है।

(14) नतीजतन, इस याचिका की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसमें निचली अदालत को प्रेम वाती बनाम जूले खान और अन्य मामलों के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

761

(अमोल रतन सिंह, जे.)

प्रत्यर्थी-वादी द्वारा न्यायालय शुल्क और मूल्य निर्धारित करने के बाद ही, जिसकी गणना बिक्री-विलेख में दिए गए प्रतिफल के अनुसार की जाती है।

(15) हालाँकि, यह पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने वाद में पक्षों द्वारा उठाए गए तर्क के गुण-दोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है, या तो प्रतिवादी-वादी पर किसी धोखाधड़ी के सवाल पर, या अन्यथा, जिस पर स्वाभाविक रूप से निचली अदालत द्वारा पूरी तरह से उसके सामने पेश किए गए lcwr के आधार पर विचार किया जाएगा।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

राधा कृष्ण

अनुवादक